हरिभूमि 8/9/2021

तीन बार जुर्माना लगने पर जा सकती है कर्मचारी की नौकरी: टीसी गुप्ता

राइट टू सर्विस एक्ट से आएगी पारदर्शिता

लापरवाही बरतने पर 250 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ अंबाला

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ पब्लिक की संतुष्टि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। जुर्माना लगाना आयोग का उद्देश्य नहीं है बल्कि सुगमता से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। टीसी. गुप्ता आज एसडी कालेज छावनी में हरियाणा सेवा का अधिकार बैठक की एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधन में बोल रहे थे। मुख्य आयुक्त गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि वर्ष 2014 में आयोग की स्थापना की थी उन्होंने सेवानिवृति के बाद तीन महीने पहले ही आयोग में बतौर मुख्य आयुक्त के तौर पर कमान संभाली है। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ अधिकारों के बारे में लोगों में सतर्कता एवं जागरूकता आए इसके दृष्टिगत अवगत करवाकर लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं जिनमें से 277 सेवाएं अंतोदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। सरकारी सेवाओं का जहां हमें समय रहते सम्बन्धित प्रार्थी को लाभ दिलवाना है वहीं इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि रिजेक्शन स्कोर में बढ़ौतरी न हो। जिन सेवाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाया गया है उसमें पब्लिक संतुष्टि स्कोर कितना है इस बात पर भी फोक्स करना है।

अंबाला। जानकारी देते टीसी गुप्ता व मौजूद अधिकारी व कर्मचारी।

ऑटो अपील सॉफ्टवेयर से लोगों को मिलेगा लाभ

उपस्थित लोगों एवं अधिकारियों से संवाद करते उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ और सुगमता से मिले इसके दृष्टिगत एक सितम्बर को मुख्यमंत्री ने चण्डीगढ़ से आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लॉंच करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। कहा कि प्रार्थी द्वारा यदि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आती तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपील दायर हो जायेगी। नर्धारित मापदंडो एवं नियमो की पालना सुनश्चिति करते उसकी शिकायत का निवारण होगा।

अच्छा काम करने वाले कर्मचारी होंगे सम्मानित

टीसी गुप्ता ने यह भी बताया कि आयोग द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ पब्लिक की संतुष्टि के साथ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता से दिलवाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी देने का काम किया जाएगा और जिस अधिकारी एवं कर्मचारी की इस कार्य में लापरवाही नजर आती है उसे अप्रंशसा पत्र देने का काम किया जायेगा। इस बात को ध्यांन में रखते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से दिलवाना सुनश्चिति करें। टी.सी. गुप्ता ने इस मौके पर यह भी बताया कि सभी जिलों में आयोग द्वारा बैठक लेकर समीक्षा की जा रही है।

काम में तेजी लाएं

अंतोदय सरल पोर्टल पर जितनी भी सेवाएं अधिसूचित हैं वह व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं। अधिकारियों को भी सुनश्चिति करना है कि यह सभी सुविधाएं सुगमता से प्रार्थी को मिले ताकि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। उन्होंने उपायुक्त विक्रम सिंह के नेतृत्व में जिले में विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 9.5 रैंकिंग मिलने पर किए कार्यों की सराहना की। टीसी ने यह भी बताया कि आयोग प्रार्थी की शिकायत का समयबद्ध तरीके से निवारण न होने पर नियमों के तहत 20 हजार तक का जुर्माना भी लगा सकता है। साथ ही प्रार्थी को 5000 की राशि भी दिलवा सकता है। अधिकारियों को कहा कि वे बेहतर तरीके से कार्य करते लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाने में रुचि दिखाते अपने कार्य को तेजी से करें।